(61) 16

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

Ex (54)

क्रमांक प.2(7)नविवि/3 [illegible]

जयपुर, दिनांक 5 JAN

7/1/16

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

16

AC (Land)

विषय :— विभागीय परिपत्र दिनांक 03.02.2015 के कम में मार्गदर्शन बाबत्।

सन्दर्भ :— [illegible] का पत्र क्रमांक 475 दिनांक 02.09.2015 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि [illegible] प्रकरण के संबंध में उक्त परिपत्र कमांक 6(29)नविवि/3/2014/पार्ट दिनांक [illegible] 2015 में यह स्पष्ट किया है कि जहॉ पर योजना कियान्वित नहीं हुई है और मुआवजा न्यायालय में जमा है। उन प्रकरणों में ही प्रभावी है, अन्य में नहीं।

इस संबंध में जिन खातेदारों से कब्जा ले लिया है व योजना कियान्वयन होने में कोई कठिनाई नहीं है, तो ऐसे प्रकरणों में प्रभावी नहीं होगा। विभागीय परिपत्र दिनांक 03.02.2015 के तहत् ही कार्यवाही करें।

Circulate copies to all

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

19/1

19.1

AC (E)

PS/TA (E)

20/1

(62)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :पं.6( )नविवि/3/07 जयपुर दिनांक 8 JUN 2016

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

विषय—जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन में सेक्टर रोड विकसित किये जाने हेतु आवप्त की गयी एवं उपयोग में ली गयी भूमि/भूखण्ड के एवज में भूमि दिये जाने बाबत।

संदर्भ—जविप्रा/अति.मुं.अभि./II/2015 /डी–10 दिनाक 18.01.2016 के कम में।

09/06/16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार इस विभाग के समसंख्यक आदेश/निर्देश दिनांक 30.07.2015 की निरन्तरता में प्रेषित प्रस्ताव के कम में विभागीय पत्र दिनांक 04.05.2016 द्वारा निर्देश/आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के कम संख्या 1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

क्र.स,	जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव	राज्य सरकार का अनुमोदन
1.	सेक्टर रोड विकसित किये जाने हेतु अवाप्त की गयी एवं उपयोग में ली गयी औद्योगिक भूमि के बदले भूमि दिये जाने के संबंध में।	सेक्टर रोड के लिए उपयोग में ली गई औद्योगिक भूमि के बदले जो आवासीय भूमि 75 प्रतिशत अथवा वाणिज्यिक भूमि 50 प्रतिशत दी जावेगी वह अवाप्त भूमि के मूल्य से अधिक की नही होगी।

भवदीय,

8/6/16

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय